

कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला पन्ना (म.प्र.)

(कार्यालय दूरभाष क्र. - 07732- 252058 E-mail- pswpan@mp.nic.in)

क्रमांक/ 1003 /स्था०/डीडीआरसी /2024

पन्ना दिनांक 24 /09/ 2024

विज्ञप्ति

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/दि.सश.-2/एफ - 173/2024-25/2941 दिनांक 30.08.2024 के पालन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र पन्ना में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। अतः निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योग्यताधारक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र	पदनाम	पद की योग्यता	पद	मानदेय
1	गतिशीलता प्रशिक्षक	दसवीं + गतिशीलता सर्टिफिकेट / डिप्लोमा गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एस.सी.) को प्राथमिकता अथवा दृष्टिबाधित में डी.एड. विशेष शिक्षा/ बी.एड. विशेष शिक्षा	01	₹14,500/-
2	ट्रांस-डिसिप्लिनरी विशेष शिक्षक (HI) (01 पद)	श्रवण बाधिता में डीईडी एचआई/ बीईडी एचआई	01	₹14,500/-
3	प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट	पीजीडीडीटी/ पीजीडीईआई/ बीएमआर/बीआरएससी /बीआरटी/ एमआरएससी/ एमएससी-ईआई	01	₹14,500/-
4	व्यावसायिक परामर्शदाता सह कम्प्यूटर सहायक	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर)/ बाल मागदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी)/पुनर्वास विज्ञान में स्नातक (बीआरएससी)	01	₹14,500/-
5	केयर गिवर	सीसीसीजी - आरसीआई/ सीसीसीजी - राष्ट्रीय न्यास या कक्षा VIII उत्तीर्ण के साथ दिव्यांगजनों की देखभाल में 3 साल का अनुभव।	01	₹6,250/-

नियम व शर्त:-

निर्धारित प्रारूप में आवेदन मोहर बंद लिफाफे में कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला पंचायत परिसर जिला पन्ना में दिनांक 07.10.2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से शायं 06:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। सभी पद पूर्णतः अस्थाई व निर्धारित मानदेय के हैं, जो एक माह की सूचना पर समाप्त किये जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया शासन से निर्धारित नियमानुसार की जावेगी एवं चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(अशोक कुमार चतुर्वेदी)

उपसंचालक

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
जिला पन्ना (म.प्र.)

पृ०क्रमांक/ 1004 /डीडीआरसी /2024

पन्ना दिनांक 24 /09/ 2024

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
- कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला प्रबंधन दल जिला पन्ना।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना।
- सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन जिला पन्ना समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला पन्ना की ओर वेबसाइट में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।
- जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय पन्ना।
- कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।

उपसंचालक

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
जिला पन्ना (म.प्र.)